संख्या:25/2024/ 1411 / सत्रह-म-2024-17-1002(099)/2/2023

प्रेषक,

हरीश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक:20 सितम्बर, 2024

विषय: मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 750.00 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 2.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-354/नि0शा0/ MMSY/ 2024-25 दिनांक 12 अगस्त, 2024 एवं पत्र संख्या-373/ नि0शा0/MMSY/ 2024-25 दिनांक 27 अगस्त, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05 मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, 20- सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत जनपदों में मनरेगा कन्वर्जेन्स/ पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर तथा मत्स्य बीज बैंक की स्थापना की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 750.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निदेशक मत्स्य के पदनाम से निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या- 1580/सत्रह-म-2022-17-1002(009)/2/2022 पार्ट-3 दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (एम0एम0एम0एस0वाई0) के संचालन हेतु दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त योजना पॉच वर्षों (वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) के लिए संचालित की जायेगी। योजना का फण्डिंग पैटर्न 40:60 (अनुदान अंश 40 प्रतिशत+लाभार्थी अंश 60 प्रतिशत) निर्धारित है।

3- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपदों में मनरेगा कन्वर्जेन्स/पटटाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पटटे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर तथा मत्स्य बीज बैंक की स्थापना के लिए अनुदान हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 2.50 करोड (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते

हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा , जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।
5. अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
6. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा।
7. आंकडों की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बधित अधिकारी का होगा।
8. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित करली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष नियंत्रक/अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार प्राप्त नही हो जाता है।
9. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र अथवा अन्य सक्षम /प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारीद्वारा प्राप्त कीजानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्यप्राप्त कर ली जाये।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण / व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
11. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन हेतु शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर 2022 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों-का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय!

4- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 2.50 करोड (रू0 दो करोड पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षकः 2405001010500 मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना मानक मद 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर/ अशासकीय संख्या- **E-1-140-X-2024-25**-दिनांक:**11-9-2024** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by Harish Kumar
Date: 17-09-2024 16:00:09

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-25/2024/ 1411 /2024(1)/सत्रह-म-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, मत्स्य विभाग उ0प्र0 शासन।

4-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।

5-उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6-वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

7-सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8-वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।

9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।